

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-90

08 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी द्वारा सीएसआर कार्यकलाप

\*90. श्री अरूण कुमार सागर:

श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यों के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की स्थान-वार संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत निधियों के उपयोग के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;
- (घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने, कि सीएसआर के अंतर्गत निधियों को विशेष रूप से पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में किया जाए, के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने का है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार को एनटीपीसी द्वारा शुरू किए गए सीएसआर कार्यकलापों की निगरानी के लिए कोई सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और
- (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (छ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

## विवरण

“एनटीपीसी द्वारा सीएसआर कार्यकलाप” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.02.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 90 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : एनटीपीसी द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों के लिए शुरू किए गए कार्यों एवं खर्च की गई निधियों के ब्यौरे **अनुबंध-I** के रूप में दिए गए हैं।

(ख) : एनटीपीसी द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत खर्च की गई निधियों के क्षेत्रवार ब्यौरे **अनुबंध-II** के रूप में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) : सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीएसआर कार्यकलाप संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) में निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करने वाले सभी सीपीएसईज को कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर संबंधी नियम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अपनी सीएसआर कार्यकलापों के अनुसरण में ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का न्यूनतम 2% खर्च करना अनिवार्य होगा। औसत निवल लाभ का यह निर्धारित प्रतिशत कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर संबंधी नियमों में विनिर्दिष्ट की गई विधि से प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। यदि कोई कम्पनी ऐसी धनराशि को खर्च करने में असफल रहती है तो, उसे खर्च न करने संबंधी कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। तथापि, सीपीएसईज के मामले में केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करना और किसी विशेष वर्ष में इस धनराशि को खर्च न करने के कारणों की व्याख्या करना पर्याप्त नहीं होगा और किसी विशेष वर्ष में खर्च न की गई सीएसआर धनराशि का व्यपगमन नहीं होगा। इसके बजाय धनराशि को उपयोग संबंधी उद्देश्य के लिए अगले वर्ष में जोड़ दिया जाएगा, जिस उद्देश्य के लिए इसे आवंटित किया गया था। जैसा कि अधिनियम में बताया गया है, सीपीएसईज को अपनी सीएसआर कार्यकलापों के चयन में 'स्थानीय क्षेत्र' को प्राथमिकता देनी चाहिए।

डीपीई वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद से सीपीएसईज द्वारा सीएसआर व्यय पर वार्षिक विषय-आधारित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसईज के लिए दिशानिर्देश भी जारी कर रहा है। इन निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि ऐसे विषयगत कार्यक्रमों के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसईज के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60% होना चाहिए और आकांक्षी जिलों को, नीति आयोग द्वारा चिह्नित किए गए अनुसार, सीएसआर व्यय में प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष 2018-19 से डीपीई द्वारा निर्धारित वार्षिक सीएसआर विषय का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	विषय
2018-19	स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल
2019-20	स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण
2020-21	स्वास्थ्य और पोषण
2021-22	स्वास्थ्य और पोषण, अस्थायी अस्पतालों का निर्माण एवं अस्थायी कोविड केयर सुविधाओं की स्थापना सहित कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाना
2022-23	स्वास्थ्य और पोषण
2023-24	स्वास्थ्य और पोषण

एनटीपीसी के अधिकांश स्टेशन पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों से संबंधित समुदायों की महत्वपूर्ण आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। सीएसआर गतिविधियों के लाभ, जो प्रकृति में समावेशी हैं, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों सहित सभी समुदायों तक फैले हुए हैं।

**(च) और (छ) :** सी एंड एजी, कंपनी अधिनियम/नियम/दिशानिर्देशों के संगत प्रावधानों के अनुसार सीएसआर नीति/परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन की शुद्धता का आकलन करने के लिए सीपीएसईज के सीएसआर व्यय की विषयगत लेखापरीक्षा करता है। इसके साथ-साथ, सीएसआर के लिए एनटीपीसी की नीति के अनुसार एनटीपीसी के स्टेशन नियमित अंतरालों पर नियमित आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण (एनएस) और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईई) करते हैं।

सीएसआर के अंतर्गत आने वाले सामाजिक कल्याण संबंधी उन कार्यों का विवरण जो एनटीपीसी द्वारा किए गए

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

केंद्रित क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 31.12.2023 तक)	लाभार्थी व्यक्ति
स्वास्थ्य	268.71	153.54	123.71	26.35	देश भर में स्थित एनटीपीसी स्टेशनों और परियोजनाओं के आसपास प्रमुख रूप से की गई एनटीपीसी की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों से लगभग 16,00,000 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
शिक्षा	62.01	59.78	21.87	15.49	
पर्यावरण एवं सतत विकास गतिविधियाँ	32.77	30.98	37.65	21.47	
अवसंरचना का विकास	26.70	16.95	14.04	8.62	
पेयजल	3.08	9.59	6.90	4.09	
स्वच्छ विद्यालय अभियान	0.00	38.42	62.79	9.73	
स्वच्छता	14.27	4.84	2.22	1.83	
सड़कों का निर्माण	3.40	3.86	4.39	1.77	
व्यावसायिक प्रशिक्षण	0.95	7.24	4.86	1.56	
सांस्कृतिक/खेल/जानवर	2.41	5.33	14.79	9.49	
दिव्यांगजनों को सहायता	1.44	0.40	0.01	0.32	
महिला सशक्तिकरण	0.78	7.24	5.49	0.68	
अन्य	2.34	18.56	16.60	0.60	
<b>कुल</b>	<b>418.87</b>	<b>356.72</b>	<b>315.32</b>	<b>101.98</b>	

एनटीपीसी संयंत्र/स्टेशन/क्षेत्र मुख्यालय वार सीएसआर व्यय

क्रम सं.	एनटीपीसी स्टेशन/परियोजना/क्षेत्र/सीसी	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	राशि लाख में (रूपये) वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 31.12.2023 तक)
1	अन्ता गैस विद्युत परियोजना	293.16	409.21	134.42	7.65
2	औरैया गैस विद्युत परियोजना	293.26	342.99	119.58	73.62
3	बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन	549.78	642.93	572.88	321.41
4	बरौनी ताप विद्युत संयंत्र			12.95	
5	बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र	26.38	74.25	536.20	329.12
6	बोंगाईगांव ताप विद्युत		118.61	95.67	117.75
7	कोयला खनन मुख्यालय**		5.46	92.95	29.60
8	कॉर्पोरेट केंद्र*	28093.16	15957.76	13073.47	1616.33
9	दादरी गैस विद्युत परियोजना		61.38		21.90
10	दादरी ताप विद्युत परियोजना	1269.43	1077.19	669.22	56.23
11	दर्लिपाली एसटीपीपी	5.80	23.36	351.57	11.48
12	दादरी, बदरपुर एवं फरीदाबाद-मुख्यालय**	26.75	2.28	***-1.41	0.65
13	दुलंगा कोयला खनन परियोजना		162.45	64.36	
14	पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय पटना**	43.05	336.22	548.64	390.92
15	ईआरएचक्यू II**	395.84	108.59	131.24	78.79
16	फरक्का सुपर ताप विद्युत	787.91	1086.26	897.34	119.44
17	फरीदाबाद गैस विद्युत स्टेशन	130.61	146.28	126.30	93.41
18	फ़िरोज़ गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत	463.35	423.04	286.38	314.51
19	गाडरवारा एसटीपीपी	27.70	197.51	25.62	37.33
20	हाइड्रो मुख्यालय**	19.47		17.50	22.95
21	झानोर- गांधार गैस विद्युत परियोजना	109.49	106.97	191.03	76.88
22	कहलगांव सुपर ताप विद्युत	717.32	1106.01	1912.31	349.69
23	कांति टीपीएस			89.76	35.71
24	कवास गैस विद्युत परियोजना	63.54	84.71	197.22	57.19
25	केरेन्डरी 'ए' कोयला खनन परियोजना		0.00		
26	खरगोन एसटीपीपी	157.01	370.57	57.18	25.58
27	कोल्डैम हाइड्रो परियोजना	24.53	16.84	155.66	88.62
28	कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना	513.34	2582.43	757.00	144.42
29	कुडगी एसटीपीपी	13.36	33.39	298.94	360.93
30	लारा एसटीपीपी		63.70	121.36	11.77
31	मौदा सुपर ताप विद्युत	62.09	1.94	10.32	119.53
32	नबीनगर एसटीपीएस			650.51	145.50
33	नोखरा सौर पीवी परियोजना -300 मेगावाट		15.25		
34	उत्तरी करणपुरा ताप विद्युत	1.32	323.55	40.76	7.51
35	उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय**	964.90	1461.01	1518.22	783.43
36	पकरी बरवाडीह कोयला खनन प्रो		518.52	156.60	15.01
37	राजीव गांधी सीसीपीपी	435.70	370.30	30.42	130.88

38	रामागुंडम सुपर ताप विद्युत	435.73	702.95	472.74	426.59
39	रिहंद सुपर ताप विद्युत	1174.69	986.81	354.87	236.46
40	सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना	49.53	697.84	998.72	314.46
41	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत	390.09	670.75	212.21	109.08
42	सीपत सुपर ताप विद्युत परियोजना	773.05	561.00	1616.80	433.28
43	सोलापुर एसटीपीपी	435.17	210.84	266.27	595.93
44	दक्षिणी क्षेत्र मुख्यालय**	***-40.33	27.79	39.74	281.25
45	टीएंडसीसी कार्यालय कोलकाता	11.40			
46	तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना	0.00	195.88	438.92	82.35
47	तालचेर सुपर ताप विद्युत	534.41	1184.52	942.51	293.44
48	तालचेर ताप विद्युत स्टेशन	885.79	944.49	464.23	56.62
49	टांडा ताप विद्युत परियोजना	147.46	131.15	270.50	109.26
50	तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो परियोजना		0.00		78.94
51	तेलंगाना सुपर ताप विद्युत	328.46	182.99	333.84	11.83
52	विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना	498.80	895.82	662.92	365.60
53	पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय**	773.81	23.54	297.46	138.62
54	पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय**	0.25	24.41	218.51	668.78
	<b>कुल योग</b>	<b>41886.57</b>	<b>35671.77</b>	<b>31532.41</b>	<b>10198.24</b>

\*कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा खर्च किए गए सीएसआर को विभिन्न राज्यों में कई सीएसआर गतिविधियों में शामिल किया गया है, जैसे पूरे भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड को सहायता, तीरंदाजी खेल को सहायता, डॉट्स-सह-डीएमसी कार्यक्रम को सहायता, एनएफएनडीआरसी को सहायता आदि।

\*\* क्षेत्रीय मुख्यालयों द्वारा सीएसआर खर्च उनके क्षेत्र के कई राज्यों में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर किया जाता है

\*\*\*पिछले वर्षों से लेखांकन समायोजन

\*\*\*\*\*